रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012024-251134
CG-DL-E-04012024-251134

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2024/पौष 13, 1945
No. 38] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2024/PAUSHA 13, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2024

का.आ. 43(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: —

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ — (1) इस आदेश को इलेक्ट्रिकल सहायक उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छ: माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग – तालिका-1 तथा तालिका-2 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका-1 तथा तालिका-2 के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि लघु उद्यमों के लिए, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात लागू होगा।

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात लागू होगा।

बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई भी बात इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अठारह माह की अवधि की समाप्ति तक तालिका-2 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगी।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – ब्यूरो, उक्त तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी– इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका-1

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
इलेक्ट्रिकल सहायक उपकरण	14772: 2020	घरेलू और इसी प्रकार के फिक्सड इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन्स हेतु इलेक्ट्रिकल सहायक उपकरण के लिए बॉक्स और इन्क्लोजर
	14927 (भाग 2): 2001	इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन्स हेतु केबल ट्रंकिंग और डक्टिंग सिस्टम - दीवारों या छत पर चढ़ने के लिए केबल ट्रंकिंग और डक्टिंग सिस्टम
	1258: 2005	बेयोनेट लैंप होल्डर्स
	15787: 2008	स्विच-सॉकेट-आउटलेट्स (नॉन-इंटरलॉक टाइप)
	13774:2021	इन्सुलेटिंग मेटेरियल के लाइव वर्किंग गलव्स
	15652:2006	इलेक्ट्रिकल प्रयोजनों के लिए इन्सुलेटिंग मैट्स
	7809 (भाग 3/ धारा1): 1986	इलेक्ट्रिकल प्रयोजनों के लिए प्रेसर सेंसिटिव एड्हेसिव इन्सुलेटिंग टेप हेतु विनिर्देशन- भाग 3 की अपेक्षाएं या अलग-अलग सामग्री - धारा1 – नॉन-थर्मोसेटिंग एड्हेसिव प्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइलक्लोराइड टेप्स

तालिका-2

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
इलेक्ट्रिकल सहायक उपकरण	16012: 2012	पॉली-लेमिनेटिड एल्यूमिनियम केबल रैप

नोट – इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/22/2023–एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 1st January, 2024

S.O. 43(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title and commencement.—** (1) This order may be called the Electrical Accessories (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six month from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. **Compulsory use of Standard Mark.—** Goods or articles specified in column (1) of the Table-1 and Table-2 shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) of the Table-1 and Table-2 and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that in relation to small enterprises as defined in clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of nine months from the date of publication of this notification:

Provided further that in relation to micro enterprises as defined in clauses (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of twelve months from the date of publication of this notification:

Provided also that nothing in this order shall apply to goods or articles as specified in Table-2, till the expiry of eighteen month from the date of publication of this notification.

3. **Certification and enforcement authority. —** The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. **Penalty for contravention.—** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE-1

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	**(2)**	**(3)**
Electrical Accessories	14772: 2020	Boxes and Enclosures for Electrical Accessories for Household and Similar Fixed Electrical Installations
	14927 (Part 2): 2001	Cable Trunking and Ducting Systems for Electrical Installations - Cable Trunking and Ducting Systems Intended for Mounting on Walls or Ceiling
	1258: 2005	Bayonet Lamp Holders
	15787: 2008	Switch-socket-outlets (non-interlock type)
	13774:2021	Live Working Gloves of Insulating Material
	15652:2006	Insulating Mats for Electrical Purposes
	7809 (Part3/ Sec1): 1986	Specification for Pressure sensitive adhesive insulating tapes for electrical purposes- Part 3 requirements or individual materials – Sec 1 plasticized polyvinylchloride tapes with non- Thermosetting adhesive

TABLE-2

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	**(2)**	**(3)**
Electrical Accessories	16012: 2012	Poly- Laminated aluminium cable wrap

Note.— For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No. P-29026/22/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.